मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958

अध्याय एक–प्रारम्भिक

1.संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ–

1 यह अधिनियम 'मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 कहा जावेगा।
2 इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश पर होगा।
3 यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस सम्बन्ध में प्रकाशित करें।

2.परिभाषाऐं–इस अधिनियम में,जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) उच्चतर न्यायिक सेवा का संवर्ग से अभिप्रेत है जिला न्यायाधीशों का संवर्ग और उसके अन्तर्गत जिला न्यायाधीश, तथा अपर जिला न्यायाधीश आयेंगे

ख) निम्नतर न्यायिक सेवा का सवंर्ग से अभिप्रेत है सिविल न्यायाधीश, प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश, द्वितीय वर्ग से गठित
होने वाला सिविल न्यायधीशों का संवर्ग

(ग) किसी वाद या मूल कार्यवाही के सम्बन्ध में ''मूल्य'' से अभिप्रेत है
ऐसे वाद या मूल कार्यवाही की विषय–वस्तु की रकम या उसका
मूल्य ''

अध्याय दो–व्यवहार न्यायालयों का गठन

3.व्यवहार न्यायालयों के वर्ग–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित न्यायालयों के अतिरिक्त व्यवहार न्यायालयों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अतः–

(1) जिला न्यायाधीश का न्यायालय
(2) व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग का न्यायालय और
(3) व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग का न्यायालय ।

(2) जिला न्यायाधीश के प्रत्येक न्यायालय की अध्यक्षता एक जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उच्चतर न्यायिक सेवा के संवर्ग में से अपर जिला न्यायाधीशों को भी नियुक्ति कर सकेगा।

(3) सिविल न्यायाधीश के न्यायालय का अपर न्यायाधीश निम्नतर न्यायिक सेवा से नियुक्त किया जा सकेगा।

(4) जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अंतर्गत अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय आयेगा तथा सिविल

न्यायाधीश, प्रथम वर्ग या सिविल न्यायाधीश, द्वितीय वर्ग के न्यायालय के अंतगत उस न्यायालय के अपर सिविल न्यायाधीश का न्यायालय आयेगा।

4. सिविल जिले–

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया कोई राजस्व जिला सिविल जिला भी होगा :
परन्तु राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, ऐसे सिविल जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकेगी या नवीन सिविल जिलों का सृजन कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन सिविल जिलों की सीमाओं या उनकी संख्या में परिवर्तन किया जाने पर या नवीन सिविल जिलों का सृजन किया जाने पर, उच्च न्यायालय बादों, अपीलों तथा कार्यवाहियों को विद्यमान जिलों के न्यायालयों में ऐसे अन्य न्यायालयों को, जिन्हें ऐसे परिवर्तन या सृजन के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त हो गई हो, अन्तरित किये जाने के बारे मे तथा उसने आनुषंगिक किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे पारिणमिक आदेश करेगा जैसे कि वह उचित समझे।

5. व्यवहार न्यायालयों की स्थापना–राज्य सरकार ।

(अ) प्रत्येक व्यवहार जिले के लिये जिला न्यायाधीश के न्यायालय, और
(ब) प्रत्येक व्यवहार जिले के लिये अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीशों प्रथम वर्ग, और व्यवहार न्यायाधीशों द्वितीय वर्ग के उतने न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी जितने उसे उचित प्रतीत हों ।

6. व्यवहार न्यायालयों की प्रारम्भिक अधिकारिता–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुये–

(अ) व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय को 25,000/– रूपये से अनधिक मूल्य के किसी भी व्यवहार बाद या मूल कार्यवाही को होगी; सुनने तथा अवधरित करने की अधिकारिता,
(ब) व्यवहार न्यायालय प्रथम वर्ग के न्यायालय को 50,000/– रूपये से अनधिक मूल्य के किसी भी व्यवहार वाद या मूल कार्यवाही की सुनने यथा अवधारित करने की अधिकारिता होगी
(स) जिला न्यायाधीश के न्यायालय को मूल्य के सम्बंध में बिना किसी निर्वधन के किसी व्यवहार वाद या मूल कार्यवाही की श्रवण करने और उसका निराकरण करने का क्षेत्रााधिकार होगा ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (अ) और (ब) में उल्लेखित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमायें वह होगी जिन्हे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

(3) उपधारा (1) के खंड (अ) (ब) तथा (स) में की गई कोई भी बात किसी ऐसे बाद या मूल कार्यवाही पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि 26 जनवरी,1979 के पूर्व संस्थित की गई हो।

7. प्रारम्भिक अधिकारिता का मुख्य व्यवहार न्यायालय–

(1) जिला न्यायाधीश का न्यायालय व्यवहार जिले की प्रारम्भिक अधिकारिता का मुख्य व्यवहार न्यायालय होगा।
(2) कोई अपर जिला न्यायाधीश जिला न्यायालय के कृत्यों, जिनमें आरम्भिक अधिकारिता बाले प्रधान सिविल न्यायालय के कृत्य भी सम्मिलित हैं, में से किन्ही भी ऐसे कृत्यों का निबंहन करेगा जो कि जिला न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उसे सौपें, और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने में वह उन्ही शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका कि प्रयोग जिला न्यायाधीश करता हैं ।

8. अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति–

(1) जब कभी यह आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता हो, जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश सिविल न्यायाधीश, प्रथम वर्ग या सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय के लिये अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति यथास्थिति जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश, प्रथम वर्ग या सिविल नयायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय में की जा सकेगी, और ऐसा अपर न्यायाधीश उस न्यायालय की, जिसमें कि उसे नियुक्त किया गया है, अधिकारिता का तथा उस न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग उस प्राधिकारी के, जिसके कि द्वारा उसकी नियुक्ति की गई है, किन्हीं ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुये करेगा जो कि वह प्राधिकारी उन वादों, जिनका कि विचारण, सुनवाई या अवधारण ऐसे अपर न्यायाधीश द्वारा किया जा सकेगा, के वर्ग या मूल्य सम्बन्ध में दे ।
(2) किसी अधिकारी को एक या अधिक न्यायालयों का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकेगा, और किसी अधिकारी को, जो किसी एक न्यायालय का न्यायाधीश है, किसी अन्य न्यायालय का अथवा अन्य न्यायालयों का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकेगा ।

9. कुछ न्यायालयों को लघुवाद न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से विनिहित करने की शक्ति–

(1) उच्च–न्यायालय, अधिसूचना द्वारा, किसी सिविल न्यायालय में लघुवाद न्यायालय की शक्तियां उस विधि के अधीन विनिहित कर सकेगा जो किसी क्षेत्र में लघुवाद न्यायालय के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त हो, ऐसी शक्ति का प्रयोग उन मामलों में किया जा सकेगा जो उस न्यायालय की अधिकारिता की सीमाओं के भीतर या ऐसी सीमाओं के भीतर के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उद्भूत होते हैं ।
(2) लघुवाद स्वरूप के व्यहार वादों का मूल्य जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय की दशा में 1000 रूपये से कम, व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय की दशा में 500 रूपये से, और व्यवहार न्यायालय द्वितीय वर्ग के न्यायालय की दशा में 200 रूपये से अधिक न होगा।

10. कुछ कार्यवाहियों में व्यवहार न्यायाधीशों द्वारा जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग–

(1) उच्च न्यायालय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को और उन्हें अपने नियन्त्रणाधीन किसी व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग के पास हस्तान्तरित करने के लिये किसी जिला न्यायालय को संज्ञान लेने के लिये अधिकार दे सकेगा । यथा–

(अ) भाग 1 से 8 के अधीन, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (क्रमांक 39 सन् 1925) अथवा
(ब) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (क्र. 39 सन् 1925) के भाग 9 के अधीन किसी कार्यवाही या किसी कारवाही का वर्ग जिसका निपटारा जिला प्रत्योजन द्वारा न किया जा सके
(स) संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम,1890 (क्रं. 8 सन् 1890); अथवा
(द) प्रान्तीय शोधन क्षमता अधिनियम, 1920 (क्रं. 5 सन् 1920) के अधीन उत्पन्न होने वाली किसी कार्यवाही या कार्यवाही के वर्ग का ।

(2) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (क्रं. 39 सन् 1925) की धारा 388 में किसी बात के होते हुये भी उच्च न्यायालय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा जिला न्यायाधीश की श्रेणी से अनिम्न किसी न्यायाधीश की उस अधिनियम के भाग 10 के अधीन जिला न्यायाधीश के अधिकारी का प्रयोग करने की शक्ति से युक्त कर सकता हैं ।
(3) जिला न्यायाधीश करने नियत्रणाधीन किसी व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग द्वारा संज्ञान ली गई या उसे हस्तान्तरित ऐसी कोई कार्यवाहियां वापस ले सकता है जिनका या तो वह स्वयं निपटारा कर सकता है अथवा किसी सक्षम न्यायालय को हस्तान्तरित कर सकता हैं।
(4) इस धारा के अधीन व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग द्वारा संज्ञान ली गई अथवा उसे हस्तान्तरित कार्यवाहियां जिला न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होने वाली विधि और नियमों के अनुसार उसके द्वारा निपटाई जायेगी ।

11. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार–
जिला न्यायालय के न्यायाधीश को भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 (क्र. 4 सन् 1869) के अधीन

किसी मूल कार्यवाही की सुनवाई और निर्णय करने का क्षेत्राधिकार होगा और वह उस व्यवहार जिले के इस अधिनियम के अधीन जिला न्यायालय समझे जायेगें ।

12. व्यवहार न्यायालयों के बैठने का स्थान–

(1) प्रत्येक व्यवहार न्यायालय उस स्थानों में बैठेगा जहां उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे, अथवा ऐसे किसी निर्देश के अभाव में, उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी स्थान में
(2) इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये किसी न्यायालय का प्रत्येक अपर न्यायाधीश उस न्यायालय की, जिसका कि बहु अपर न्यायाधीश है, अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के ऐसे स्थान या स्थानों पर बैठेगा जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देशित करें।
(3) जिला न्यायाधीश तथा जिले के अन्य न्यायाधीश, किसी विशिष्ट सामले की या किसी विशिष्ट वर्ग के मामलो की सुनवाई करने के लिये, उच्च न्यायालय की पूर्व मंजूरी से तथा पक्षकारों को सम्यक् देने के पश्चात्, जिले के भीतर के किसी अन्य स्थान पर अस्थायी रूप से बैठ सकेंगे।

अध्याय तीन–अपीलीय क्षेत्राधिकार

13. अपीलीय क्षेत्राधिकार–

(1) तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा अथवा उपबंधित स्थिति को छोडकर मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालयों की आज्ञप्तियों (डिक्रीयों) या आदेशों से अपीलें निम्नांकित प्रारम्भिक अधिकारिता बाले न्यायालयों में होगी ।

क) व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग या व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग की आज्ञप्ति या आदेश से जिला न्यायाधीश के न्यायालय को
ख) जिला न्यायाधीश के न्यायालय की डिक्री या आदेश की उच्च न्यायालय में(स्पष्टीकरण–सिविल न्यायाधीश के न्यायालय या जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अंतर्गत इस न्यायालय का अपर न्यायाधीश आयेगा।)

(2) इस तथ्य के होते हुये भी कि कोई व्यवहार बाद या कार्यवाही 26 जनवरी, सन् 1979 के पूर्व संस्थित या प्रारम्भ की गई थी किया गया था, ऐसे व्यवहार बाद या कार्यवाही में पारित किसी आज्ञप्ति या आदेश के विरूद्ध अपील उपधारा (1) में उपबंधित किये गये अनुसार होगी
(3) इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसी अपील की लागू नहीं होगी जो 26 जनवरी, सन् 1979 के पूर्व संस्थित की गई हो

अध्याय चार–प्रशासकीय नियन्त्रण

14. जिले में के सिविल न्यायालयों और न्यायालयों पर अधीक्षण तथा नियन्त्रण–
उच्च न्यायालय के साधारण अधीक्षण तथा नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुये जिला न्यायाधीश अपनी अधिकारिता के भीतर के स्थानीय क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये समस्त अन्य सिविल न्यायालयों का तथा ऐसे न्यायालयों में नियुक्त किये गये समस्त अपर न्यायाधीश का अधीक्षण करेगा तथा उन पर नियंत्रण रखेगा, और ऐसे कृत्यों के निर्वहन में उसका यह कर्तव्य होगा कि वह–

क) अपने नियंत्रणाधीन न्यायालयों तथा कार्यालयों की कार्यवाहियों का निरीक्षण करे या उनका निरीक्षण करवाए

ख) किन्ही मामलों के बारे में ऐसे प्रशासनिक निदेश दे जैसे कि वह उचित समझे और
ग) जिले मे के अधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायाधीशों से ऐसी रिर्पोट तथा विदरणियां मंगाये जो उच्च न्यायालय द्वारा विहित की जाये या जिनकी प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये उसे अपेक्षा हो ।

15. कार्य विभाजन की शक्ति–

''**(1)** सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (क्रं. 5 सन् 1908) में, या किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त लघुवाद न्यायालयों से संबंधित विधि में, या इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किन्ही अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जिला न्यायाधीश लिखित आवेश द्वारा, यह निर्देश दे सकेगा कि उसके न्यायालय द्वारा उसके सिविल जिले में धारा 5 के अधीन स्थापित किये गये अन्य सिविल न्यायलयों द्वारा संज्ञीय किसी सिविल कार्य का वितरण स्वयं उसके तथा उसके न्यायालय के अपर न्यायाधीशों, यदि कोई हों, के बीच और उसके नियंत्रणाधीन अन्य न्यायालयों के बीच एवं ऐसे अन्य न्यायालयों के अपर न्यायाधीशों के बीच परस्पर ऐसी रीति में किया जाय जैसा कि वह उचित समझे : परंतु, वहां तक के सिवाय जहां तक कि इस धारा के अधीन दिये गये किसी निर्देश से किसी लधुवाद न्यायालय की या किसी ऐसे न्यायालय की, जिसमें लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता विनिहित है, अनन्य अधिकारिता प्रभावित होती हो, ऐसा कोई निदेश किसी न्यायालय को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने या ऐसा कार्य करने के लिये सशक्त नही करेगा जो उसकी धन–सम्बम्धी अधिकारिता तथा अधिसूचति क्षेत्रीय अधिकारिता की सीमाओं से परे हो ।
(2) सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में संस्थित किसी वाद, अपील या कार्यवाही में का कोई भी न्यायायिक कार्य केवल इस तथ्य के कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि ऐसा संस्थित किया जाना उपधार (1) में निर्दिष्ट किये गये कार्य–वितरण आदेश के अनुसार नही था ।
(3) जब कभी किसी ऐसे न्यायालय के, जो कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, यह प्रतीत हो कि उसके समक्ष लम्बित किसी वाद; अपील या कार्यवाही का संस्थित किया जाता उपधारा (1) के अधीन किये गये कार्य वितरण आदेश के अनुरूप नहीं था, तो वह यथास्थिति ऐसे वाद, अपील या कार्यवाही का अभिलेष समुचित आदेशों के लिये जिला न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा उसके सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश, सम्बन्धित–अभिलेख का अन्तरण या तो कार्य वितरण आदेश के अनुसार समुचित न्यायालय को करते हुये या अन्यथा उसका अन्तरण सक्षम अधिकारिता वाले किसी अन्य न्यायालय को करते हुये, आदेश पारित कर सकेगा ।
(4) उपधारा (1) के अधीन सिविल कार्य का वितरण करते समय जिला न्यायाधीश ऐसे सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित जो कि उच्च न्यायालय, नियमों द्वारा, विहित करें ।

16. न्यायाधीश उन प्रकरणों का विचारण न करें जिनमें उनका व्यक्तिगत हित सम्बन्ध हो–

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश किसी व्यवहारबाद अपील या अन्य कार्यवाही की सुनवाई या निर्णय नहीं करेगा जिसमें वह एक पक्ष हो या जिसमें उसका प्रत्यक्ष या परोेक्ष हित सम्बन्ध हो ।
(2) यदि कोई ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जिले में के किसी सिविल न्यायालय के समक्ष या ऐसे न्यायालय के किसी अपर न्यायाधीश के समक्ष आती है, तो वह न्यायाधीश उस मामले को, उसके अभिलेख तथा सहवर्ती परिस्थितियों के बारे में अपनी रिर्पोट के साथ, जिला न्यायाधीश को निर्देशित करेगा जो ऐसे मामने को या तो स्वयं निपटा सकेगा या धन–सम्बंधी अधिकारिता की सीमाओं के अध्यधीन रहते हुये उसे जिले में के यथास्थिति किसी अन्य न्यायालय को या जिले में के न्यायालयों में से किसी न्यायालय के अपर न्यायाधीश को निपटारे के लिये सौंप सकेगा या अन्तरित कर सकेगा ।
(3) यदि कोई ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाही स्वयं जिला न्यायाधीश के समक्ष आती है, तो वह ऐसे मामले को या तो अपने न्यायालय के किसी अपर न्यायाधीश को सौंप सकेगा, या समुचित आदेशों के लिये अभिलेख को, सहवर्ती परिस्थितयों पर अपनी टिप्पणियों के साथ उच्च न्यायालय को पारेषित कर सकेगा ।

(विलुप्त '''') म. प्र. अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1979 द्वारा ।

18. जिला न्यायाधीशों के पद में अस्थायी रिक्ति–

किसी जिला न्यायालय की मृत्यु हो जाने की दशा में या छुट्टी पर होने के कारण सिविल जिले से उसके अनुपस्थित होने की दशा में अथवा रूणता या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने से उसके निवारित हो जाने की दशा में, वह न्यायाधीश जो संवर्ग–अधिक्रम (काडर हाइरआर्की) में संवर्ग–ज्येष्ठता के अनुसार सबसे ज्येष्ठ हो, अपने मामूली कर्तव्यों में विघ्न डाले बिना, जिला न्यायालय का कार्यभार ग्रहण करेगा; और ऐसा भारसाधक रहते समय, वह वादों तथा अपीलों के फाइल किये जाने, अभिवचन, अजियां प्राप्त करने, आदेशिकाओं के निष्पादन, रिटों की तामीली रिर्पोट (रिटर्न ऑफ–रिट्स) तथा ऐसे ही अन्य कार्यो के सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करेगा; और उसे इस प्राकर के आपाती अन्तवर्ती मामले, जैसे कि उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विहित करे, निपटाने की शक्ति तथा अधिकारिता भी होगी और ऐसा भारसाधक न्यायाधीश ऐसा कार्यभार तब तक रखे रहेगा जब तक कि जिला न्यायाधीश का पद पुर्नग्रहीत न कर लिया जाय या ऐसे अधिकारी द्वारा ग्रहण न कर लिया जाय जो उस पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो ।

19. जिला न्यायाधीश की शक्तियों का प्रत्यायोजन–

कोई भी जिला न्यायाधीश, जो मुख्यालय छोडकर कर्त्तव्य हेतु अपने जिले के भीतर के किसी स्थान को जा रहा हो, ऐसे कर्तव्यों का, जो आपाती स्वरूप के हों, पालन करने की तथा किन्ही ऐसे आपाती मामलों का, जो धारा 18 के अधीन विनिर्दिष्ठ किये जायं, निपटारा करने की शक्तियां, मुख्यालय पर के अपने न्यायालय के ज्येष्ठम अपर न्यायाधीश को या जहां और अपर न्यायाधीश न हो, वहां मुख्यालय पर के किसी सिविल न्यायाधीश को प्रत्योजित कर सकेगा, और ऐसे न्यायाधीश के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह जिला न्यायाधीश के न्यायालय का भारसाधक न्यायाधीश हैं ।

20. अधिकारियों की शक्तियों का बने रहना–

जहां इस अधिनियम के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र में किन्ही शक्तियों से नियोजित राज्य शासन की सेवामें, कोई पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति उस स्वरूप के सदृश्य स्थानीय क्षेत्र में तत्समय या उंचे पद पर स्थानांतरित किया या भेजा जावे वहां वह उच्च न्यायालय जब तक किसी अन्य आशय का निर्देश न दे, या उसने अन्य आशय का निर्देश न दे दिया जो, उस स्थानीय क्षेत्र में उन्ही शक्तियां का प्रयोग करेगा जहां वह स्थानान्तरित किया या भेजा गया हो ।

21. अवकाश–

(1) राज्य शासन के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये उच्च न्यायालय उन दिनों की एक सूची तैयार करेगा जिसके अनुसार उसके अधीन व्यवहार न्यायालयों में प्रति वर्ष अवकाश मनायें जावेंगे।
(2) ऐसी सूची राजपत्र में प्रकाशित की जावेगी ।
(3) उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित सूची में उल्लेखित दिन को किसी न्यायालय द्वारा किया गया न्यायिक कार्य केवल इस कारण ही अमान्य न होगा कि वह उस दिन दिया गया था ।
(4) जिला न्यायाधीश ऐसे दीर्घावकाश के दौरान अत्यावश्यक सिविल मामलों के निपटारे के नियेे ऐसा इंतजाम कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे ।

22.मुद्रा–

प्रत्येक व्यवहार न्यायालय ऐसे प्रकार और परिमाण की मुद्रा का जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, उसके द्वारा जारी की गई सभी आदेशिकाओं और जारी आदेशों और पारित आज्ञप्तियों पर उपयोग करेगा ।

23. नियम बनाने की शक्ति–

(1) उच्च न्यायालय, इस अधिनियम के समस्म प्रयोजनों या उनमें से किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये समय–समय पर नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों के लिये या उनमें से किसी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेगें–

क) अपने अधीनस्थ समन्त न्यायालयों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण;
ख) सिविल न्यायालयों द्वारा, या किसी ऐसे न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा जारी की गई आदेशिकाओं के लिये प्रभावित की जाने वाली फीस और वह फीस जो किसी ऐसे न्यायालय में के किसी वाद या कार्यवाही के सम्बन्ध में उस वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा ऐसे वाद या कार्यवाही के किसी अन्य पदकार के प्लीडर की फीस की बावत देय हो
ग) वह रीति जिसमें सिविल न्यायालयों की कार्यवाही रखी तथा अभिलिखित की जायेगी, वह रीति जिसमें अपीलों की सुनवाई के लिये अभिलेख पुस्तिकाएॅ (पेपर बुक्स) तैयार की जा सकेगी तथा प्रतिलिपियों का दिया जाना
घ) न्यायालयों के अधिकारियों से सम्बन्धित विषय
ड) वे व्यक्ति जिन्हें उसके अधीनस्थ न्यायालयों में अर्जी–लेखकों के रूप में कार्य करने की अनुज्ञा दी जायगी ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियों का मंजूर किया जाना, उनके द्वारा कार्य का संचालन तथा उनके द्वारो प्रभारित की जाने वाली फीस का मापमान, वह प्राधिकारी जो नियमों के भंग के सम्बन्ध में अन्वेषण करेगा तथा वे सास्तियां जो उन पर अधिरोपित की जा सकेंगी
च) अपने सिविल जिले में के न्यायालयों के बीच सिविल कार्य के वितरण हेतु जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शक के लिये सिद्धांतो का विहित किया जाना
छ) धारा 18 के अधीन वे आपाती मामले जिन्हें निपटाने की शक्ति तथा अधिकारिता जिला न्यायालय के भारसाधक न्यायाधीश को होगी ।

24. निरसन और व्यावृत्ति–

मध्यप्रान्त (सेन्ट्रल प्रोविन्सेस) और वरार न्यायालय अधिनियम, 1917 मध्य भारत व्यवहार न्यायालय विधान, संवत 2009, भोपाल और विन्धप्रदेश (न्यायालय) अधिनियम, 1950 और राजस्थान व्यवहार न्यायालय अध्यादेश 1950, जहां तक कि वह सिरोंज क्षेत्र की लागू होता है का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :परन्तु उपर्युक्त अधिनियमितियों के निरसन का निम्नांकित पर प्रभाव नही पडेगा–

(अ) उनके पूर्व प्रवर्तन पर या
(ब) इस तरह निरसित अधिनियमिति के विरूद्ध किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में उठाई गई किसी शास्ति, जटिल या दण्ड पर ; या
(स) ऐसे किसी दण्ड के सम्बन्ध में किसी अनुसंधान, वैधिक कार्यवाही या दादरसी पर और ऐसा कोई अनुसंधान, वैधिक कार्यवाही या दादरसी संस्थित की जारी रखी या प्रवृत्त की जा सकेगी और ऐसी कोई शास्ति, जटिल या दण्ड लाया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित नही हुआ था परन्तु यह और कि निरसित अधिनियमितियों में से किसी के अधीन की गई नियुक्तियों, बनाये गये नियमों या किये गये आदेशों या प्रदान किये गये क्षेत्राधिकार और शक्तियों अथवा इनको स्पष्ट रूप से गर्भित रूप से इस तरह की जाने के लिये अभिप्रेत नियुक्तियों, नियमों, आदेशों और शक्तियों के बारे में यह समझा जावेगा कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन क्रमशः की गई, बनाये गये या प्रदान की गई हैं।

25. अतःकालीन उपबन्ध–

इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से–
(1) जिला न्यायाधीशों एवं अपर जिला न्यायाधीशों के समस्त विद्यमान न्यायालय इस अधिनियम के अधीन स्थापित क्रमशः जिला न्यायाधीशों एवं अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय समझे जावेगे ।
(2) विन्ध्य प्रदेश, भोपाल एवं सिरोंज क्षेत्रों में मुन्सिफों के तथा मध्य भारत क्षेत्र में द्वितीय वर्ग के व्यवहार न्यायाधीशों के समस्त विद्यमान न्यायालय इस अधिनियम के अधीन स्थापित व्यवहार न्यायाधीशों द्वितीय वर्ग के न्यायालय समझे जावेंगे ।
(3) मध्य भारत एवं सिरोंज क्षेत्रों में, प्रथम वर्ग के लिए व्यवहार न्यायाधीशों के तथा भोपाल क्षेत्र में अधीन न्यायाधीशों के समस्त विद्यमान न्यायालय इस अधिनियम के अधीन स्थापित व्यवहार न्यायाधीशों प्रथम वर्ग के न्यायालय समझ जायेंगे ।

(4) महाकौशल क्षेत्र में व्यवहार न्यायाधीशों के विद्यमान न्यायालयों में से उन न्यायालयो को छोडकर जिन्हे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा व्यवहार न्यायाधीशों प्रथम वर्ग के न्यायालय उल्लेखित करे यह न्यायालय इस अधिनियम के अधीन स्थापित व्यवहार न्यायाधीशों द्वितीय वर्ग के न्यायालय समझे जायेंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में ''विद्यमान न्यायालय'' से तात्पर्य धारा 24 द्वारा निरसित अधिनियमितियों में से किसी के अधीन स्थापित तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व कार्य करने वाले न्यायालय से हैं।

26. निर्देशों का अर्थान्वयन—

इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व पारित प्रत्येक अधिनियम मे—
(1) अधीन न्यायालय सम्बन्धी कोई निर्देश इस अधिनियम के अधीन स्थापित या स्थापित समझे गये व्यवहार न्यायाधीश सम्बन्धी निर्देश समझे जायेगे, और ''मुन्सिफ'' सम्बन्धी कोई निर्देश व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय सम्बन्धी निर्देश समझे जायेंगे और
(2) जहां व्यवहार न्यायाधीशों सम्बन्धी किसी निर्देश में किसी वर्ग का उल्लेख न किया गया हो वहां वह निर्देश महाकौशल क्षेत्र के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के अधीन स्थापित समझे गये व्यवहार न्यायधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय संबंधी निर्देश समझे जायेंगें ।

27.लम्बित व्यवहार बाद एवं कार्यवाहियां—

इस अधिनियम के प्रारम्भ के तुरंत पूर्व विद्यमान न्यायाधीशों में से किसी के समक्ष लम्बित प्रत्येक व्यवहारवाद या अन्य कार्यवाहियां ऐसा प्रारम्भ होने पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन क्षेत्राािधकार रखने वाले न्यायालय को एक से अधिक हो तो उस न्यायालय को जिसे न्यायाधीश इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस सम्बन्ध में उल्लेखित करे और जिस न्यायालय की कार्यवाही इस प्रकार हस्तान्तिरित हो जावें वह उस विषय का विचारण, सुनवाई और निर्णय करने के लिये अग्रसर होगा मानो वह उस न्यायालय के समक्ष लम्बित था ।

27—(क) कठिनाई का दूर किया जाना—

यदि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1982 के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो उच्च—न्यायालय समय—समय पर ऐसे आदेश और निर्देश, जो पूर्वोत्त संशोधन अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जारी कर सकेगा या ऐसे मामलों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा, जैसा भी कि वह उचित समझे।''

28. लघुवाद न्यायालय सम्बन्धी विधियों का संशोधन—

अनुसूची के स्तम्भ एक में उल्लेखित अधिनियम और अध्यादेश का संशोधन उसके स्तम्भ (2) में उल्लेखित रीति में और सीमा तक किया जायेगा ।